न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—127 / 19 (2019 / 00210) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—प्रहलाद पिता मुलचन्द लढ़ा (महाजन) निवासी बोराणा हाल शाहीबाग अहमदाबाद गुजरात
2—दिनेश पिता मुलचन्द लढ़ा (महाजन) निवासी बोराणा हाल शाहीबाग अहमदाबाद गुजरात
3—प्रकाश पिता मुलचन्द लढ़ा (महाजन) निवासी बोराणा हाल शाहीबाग अहमदाबाद गुजरात
4—मुकेश पिता मुलचन्द लढ़ा (महाजन) निवासी बोराणा हाल शाहीबाग अहमदाबाद गुजरात
5—जतन पुत्री मुलचन्द लढ़ा (महाजन) निवासी बोराणा हाल शाहीबाग अहमदाबाद गुजरात
6—गीतादेवी पत्नि मुलचन्द लढ़ा (महाजन) नि0 बोराणा हाल शाहीबाग अहमदाबाद गुजरात
7—कैलाश गोदपिता मोहनलाल लढ़ा (महाजन) नि0बोराणा हाल शाहीबाग अहमदाबाद गुजरात
8—ज्ञानीदेवी पत्नि मोहनलाल लढ़ा (महाजन) नि0 बोराणा हाल शाहीबाग अहमदाबाद गुजरात

प्रार्थीगण

बनाम

1—जगदीश पिता हीरालाल लढ़ा (महाजन) नि0 बोराणा तहसील रायपुर हाल बड़ौदा गुजरात
2—नरेश पिता रामस्वरूप लढ़ा (महाजन) निवासी बोराणा तहसील रायपुर हाल बड़ौदा गुजरात
3—दीपेश पिता रामस्वरूप लढ़ा (महाजन) नि0 बोराणा तहसील रायपुर हाल बड़ौदा गुजरात
4—भरत पिता रामस्वरूप लढ़ा (महाजन) निवासी बोराणा तहसील रायपुर हाल बड़ौदा गुजरात
5—सरोज पिता रामस्वरूप लढ़ा (महाजन) नि0 बोराणा तहसील रायपुर हाल बड़ौदा गुजरात
6—सीता बेवा रामस्वरूप लढ़ा (महाजन) निवासी बोराणा तहसील रायपुर हाल बड़ौदा गुजरात
7—राधेश्याम माता शांता लढ़ा (महाजन) निवासी बोराणा तहसील रायपुर हाल बड़ौदा गुजरात
8—प्रहलाद माता शांता लढ़ा (महाजन) निवासी बोराणा तहसील रायपुर हाल बड़ौदा गुजरात
9—रमेशचन्द्र माता शांता लढ़ा (महाजन) निवासी बोराणा तहसील रायपुर हाल बड़ौदा गुजरात
10—गोपाललाल माता शांता लढ़ा (महाजन) नि0 बोराणा तहसील रायपुर हाल बड़ौदा गुजरात
11—सीता माता शांता लढ़ा (महाजन) निवासी बोराणा तहसील रायपुर हाल बड़ौदा गुजरात
12—गीता पुत्री हीरालाल लढ़ा (महाजन) निवासी बोराणा तहसील रायपुर हाल बड़ौदा गुजरात
13—हेमलता पुत्री हीरालाल लढ़ा (महाजन) नि0 बोराणा तहसील रायपुर हाल बड़ौदा गुजरात
14—मेहताब पुत्री हीरालाल लढ़ा (महाजन) निवासी बोराणा हाल करेड़ा तहसील करेड़ा
15—विनोद माता भगवतीदेवी लढ़ा (महाजन) निवासी बोराणा हाल करेड़ा तहसील करेड़ा
16—राधेश्याम माता भगवतीदेवी लढ़ा (महाजन) निवासी बोराणा तहसील रायपुर
17—आजाद माता भगवतीदेवी लढ़ा (महाजन) निवासी बोराणा हाल भीलवाड़ा
18—गिरीराज माता भगवतीदेवी लढ़ा (महाजन) निवासी बोराणा हाल करेड़ा तहसील करेड़ा
19—पंकज माता भगवतीदेवी लढ़ा (महाजन) निवासी बोराणा हाल करेड़ा तहसील करेड़ा
20—मधु माता भगवतीदेवी लढ़ा (महाजन) निवासी बोराणा हाल करेड़ा तहसील करेड़ा
21—अंजना माता भगवतीदेवी लढ़ा (महाजन) निवासी बोराणा हाल करेड़ा तहसील करेड़ा
22—रेखा माता भगवतीदेवी लढ़ा (महाजन) निवासी बोराणा हाल करेड़ा तहसील करेड़ा
23—कालुराम पिता कन्हैयालाल महाजन निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
24—श्रीमान तहसीलदार साहब एवं पदेन उपपंजीयक महोदय रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 18:07:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. सुनिल बाफना — अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांकः—29.10.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर बैरून हलका आबादी में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के संयुक्त आधिपत्य एवं स्वामित्व की पैतृक मौरूषी साबिक कृषि आराजियात साबिक खाता संख्या 414 में अकिंत साबिक आराजी संख्या 546 रकबा 8 बिस्वा आराजी संख्या 1945 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा आराजी संख्या 1946 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा भूमि स्थित है। प्रमाण साबिक जमाबन्दी नकल प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मूल पुरूष मेघराज जी थे जिसके 3 लड़के बादरमल, मगनीराम, नरसिंहजी थे तीनो भाई शामिल सरीक रहते थे सम्पूर्ण भूमियां बादरमलजी परिवार में सबसे बड़े भाई होने से उनके नाम दर्ज रेकार्ड थी तथा उनके कोई औलाद नही होने से मगनीराम के पुत्र हीरालाल को बादरमलजी के गोद रखा तथा नरसिंहजी के कोई ओलाद नही होने से मगनीराम जी के पुत्र धनराज को गोद रखा। मगनीरामजी के 4 पुत्र हुए जिनमें 2 को गोद रख दिया तथा मोहनलाल के कोई औलाद नही होने से वादीगण के पिता मूलचन्द के पुत्र कैलाश को गोद रखा। उक्त वादग्रस्त भूमि बादरमल की मृत्यु के बाद हीरालाल के नाम दर्ज हो गई परन्तु मगनीराम के चारो पुत्र शामिल शरीक रहते थे और वादग्रस्त भूमि में चारो भाईयो में बराबर हक हिस्सा होकर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे। हीरालाल ने अपने चारो भाईयो को उक्त वादग्रस्त भूमि तथा अन्य भूमि शामलाती होने तथा उस पर पीढ़ी दर पीढ़ी संयुक्त हक हिस्सा होकर शामलाती कब्जा होने का एक इकरार नामा दिनांक 11.09.1942 ठिकाना देवगढ़ का चारआना का स्टाम्प पर गवाहन के सामने निष्पादित कर अपने हस्ताक्षर किये तब से प्रार्थीगण के पिता व उनके बाद प्रार्थीगण अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण अपने पूर्वजो के समय से वादग्रस्त कृषि आराजियात पर अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है जिसे करीब 77 वर्ष हो चुके है। तहसील रायपुर में भू प्रबन्ध होने से ग्राम बोराणा में साबिक आराजियात के नवीन खसरा नम्बर कायम किये गये साबिक आराजी नम्बर 546 रकबा 8 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर 1505 रकबा 0.09 है0, साबिक आराजी नम्बर 1945 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर 4197 रकबा 0.90 है0 साबिक आराजी नम्बर 1946 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा के नवीन नम्बर 4198 रकबा 0.91 है0, 4199 रकबा 0.97 है0 कुल किता 4 रकबा 2.87 है0 कायम किये जिसकी जमाबन्दी नकल प्रस्तुत की गई। प्रार्थीगण द्वारा कई बार विपक्षीगण को अपने हिस्से की भूमि को नाम दर्ज कराने हेतु कहा तो विपक्षीगण टालमटोल करते रहे और प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने की नियत से विपक्षी संख्या 1 व 7 से 14 ने दिनांक 20.08.2018 को तथा विपक्षी 2 से 6 ने दिनांक 26.10.2018 को सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमियां अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए अपने हिस्से से अधिक भूमियो को विपक्षी संख्या 15 विनोदकुमार को विक्रय कर दी तथा विनोदकुमार ने उक्त भूमियों को अन्य व्यक्तियो को विक्रय करने की नियत से सोदा कर लिया तथा विनोदकुमार विक्रयपत्र के आधार पर प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल कर अवैध कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 18:07:38 IST
Reason: SelfAttested

करने का प्रयास कर रहा है जबकि विपक्षीगण द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र 20.08.2018 और 26.10.2018 प्रार्थीगण के मुकाबले शुरू से शुन्य होकर बेअसर है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है वादग्रस्त भूमियां प्रार्थीगण की मौरूषी है विपक्षी प्रार्थीगण को बेदखल करना चाह रहे है जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति ओर असुविधा होगी। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण ताफैसला मूलवाद इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावे कि ग्राम बोराणा की उक्त वादवर्णित आराजियात में प्रार्थी संख्या 1 से 6 का 2/9 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 7 से 8 का 2/9 हिस्सा है को विपक्षीगण किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस नही करे तथा प्रार्थीगण को अपने हक व हिस्से की भूमियो पर काश्त कर काश्त लाभ लेने देवे एवे किसी प्रकार की दंखलदाजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे। तथा विपक्षी संख्या 24 'विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत किसी दस्तावेज का पंजीयन नही करे एवं राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। यदि दौराने वाद विपक्षीगण प्रार्थीगण को उनके हक एवं हिस्से भूमियो को किसी अन्य को रहन बय बक्षीस कर प्रार्थीगण को उनके हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर देवे तो जरिये आदेशात्मक आज्ञा से कब्जा पुनः प्रार्थीगण को दिलाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 23 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण ने अपने जवाब के अंकन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात से प्रार्थी का कोई लेना देना नही है और न यह आरायिजात प्रार्थीगण व विपक्षीगण के संयुक्त आधिपत्य की है अपितु सम्पूर्ण आराजियात विपक्षीगण के आधिपत्य में है प्रार्थी द्वारा जो आवेदन पत्र में सजरा पेश किया है व सही नही होकर अपूर्ण है पक्षकारो के मूल पुरूष मेघराज जी नही थे बल्कि बादरमल जी थे बादरमल जी के स्वामित्व की उक्त वादग्रसत आराजियात थी। बादरमल जी व अन्य भाई अलग अलग रहते थे। बादरमल जी के कोई सन्तान नही होने से हीरालाल को गोद लिया था जिससे उक्त भूमियो पर बादरमल जी के बाद हीरालाल का कब्जा चला आ रहा था अन्य किसी व्यक्तियो का नही। स्व. हीरालाल ने दिनांक 11.09.1942 को अथवा अन्य किसी दिनांक को कोई इकरारनामा निष्पादित नही किया प्रार्थीगण द्वारा इकरारनामा के सम्बन्ध में जो तथ्य अकिंत किये जो गलत है। आवेदन पत्र वर्णित भूमियां हिन्दु संयुक्त परिवार की पैतृक मौरूषी कृषि आराजियात नही थी। भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा नवीन आराजी संख्या 1505, 4197, 4198, 4199 की कच्ची व पक्की पानड़िया स्व. हीरालाल के वारीसान विपक्षीगण के नाम जारी हुई जिस बाबत् प्रार्थीगण पक्ष द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नही कराई अब आपत्ति करने का कोई अधिकार नही है। भूमि की किमते बढ़ने से प्रार्थीगण के मन में लालच पैदा हो गया और उन्होने गलत निरर्थक व आधारहीन वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया दिनांक 24.10.2018 व 20.10.2018 को खातेदार (काबिजदार) थे जिनके द्वारा विक्रय पत्र निष्पादित करा पंजीयन कराया जिसमें विक्रेता का ही अधिकार था। प्रार्थीगण द्वारा यह अकिंत किया कि उनका एडवर्स पजैसन हो गया है और एकतरफ हीरालाल द्वारा निष्पादित इकरार पत्र के आधार पर बताते है जो दोनो ही तथ्य एकदुसरे के विरोधी है। प्रार्थीगण का कोई प्रथमदृष्टया मामला नही है। सम्पूर्ण भूमियां बादरमलजी से हीरालालजी के नाम से अब हीरालालजी के वारीसान के नाम पर आयी प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध व वास्ता नही है। विक्रयपत्र जो निष्पादित किये हुए है वो रेकार्डेड खातेदार द्वारा अपने अधिकार व खातेदारी आधार पर निष्पादित किये है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 18:07:38 IST
Reason: SelfAttested

जितना रकबा खाते में था उतना ही रकबा विक्रय किया है। मौके पर कब्जा विपक्षीगण का है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण विपक्षीगण का होकर अपूर्णीय क्षति भी विपक्षीगण को होगी। विपक्षी पक्ष द्वारा आवेदित आराजियात को पंजीकृत विक्रयपत्र के जरिये विक्रय कर दी है जब तक प्रार्थी पक्ष सक्षम सिविल न्यायालय से इन पंजीकृत दस्तावेज को अपास्त न करा ले तब तक उनको कोई अधिकार नही है। वाद आधार दिनांक 11.09.1942 सरासर मौगम, खाम एवं अपठीय तथा असत्य आधार पर आधारित होने से उसके आधार पर प्रार्थी पक्ष को किसी प्रकार सहायता नही दी जा सकती है। और अन्त में मजीद कथन के रूप में अकिंत किया कि प्रार्थी पक्ष 77 वर्ष के कब्जे बाबत् कोई खसरा गिरदावरी, लगान की रसीद प्रस्तुत नही की गई है। जिसके आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। दिनांक 11.09.1942 का तथाकथित स्टाम्प जो बताया जा रहा है जिसके आधार पर खातेदारी अधिकार प्रगत नही कराये जा सकते उक्त स्टाम्प अपठीन होने से शहादत में शुमार नही किया जा सकता है। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को केवल जलील व परेशान करने की नियत से आवेदन पेश किया और न्यायालय को मुगालते में रखकर तथा गलत बयानबाजी करके दिनांक 26.11.2019 को एकपक्षीय निषेधाज्ञा प्राप्त की है। अगर माननीय न्यायालय एकपक्षीय बहस सुनने से पूर्व विपक्षीगण को सूचना दी जाती और विपक्षीगण की उपस्थिति में न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाती तो एकपक्षीय आदेश जारी नही होता। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थीगण व विपक्षीगण एक ही परिवार के है जिनका सजरा पेश किया है प्रार्थना एवं वादवर्णित भूमि बादरमल के नाम थी और बादरमल से हीरालाल के नाम आयी और सभी भाई शामिल रहते थे वर्ष 1942 में हीरालाल द्वारा विवादित भूमि चारो भाईयो की शामिल में होने की लिखापढ़ी की गई प्रार्थीगण मूलचन्द व मोहनलाल के वारीसान है भूमि शामलाती कब्जे काश्त में है 20 वर्ष से अधिक पुराने दस्तावेज का न्यायालय द्वारा निर्धारण करना होता है प्राईमाफेसी केश प्रार्थीगण का है जो दस्तावेज पेश किये उनसे उनके वारीसान पाबंद है खसरे में कब्जा नही लिखा जाता है दावे में सहायता मिलेगी तब तक प्रोपटी को सुरक्षित किया जाना आवश्यक है अगर प्रार्थी को बेदखल कर दिया जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी इस सम्बन्ध में आबीजे 1999 (6) पेज 414 की नजीर पेश की गई। इसी के साथ आरआरडी 2003 (1) पेज 373, आरआरटी 2011—12 स्लीमेन्ट्री पेज 681, आरआरटी 2016 (1) पेज 262, आरआरटी 2019 (1) पेज 479, आरआरटी 2016—17 (1) पेज 54, आबीजे 1998 (5) पेज 381, आरआरटी 2015 (2) पेज 985 की नजीरे पेश करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस अपने जवाब को दोहराते हुए निवेदन किया कि सम्पति मेघराज की बताई और बादरमल बड़ा लड़का होने से उसके नाम दर्ज हुई उसका दस्तावेज पेश नही किया और जमाबन्दी बादरमलजी पेश की गई जो पुश्तैनी नही है। बादरमलजी लाऔलाद थे जिससे भूमि हीरालाल के नाम गोद पुत्र की हैसियत से दर्ज हुई। स्टाम्प अनरजिस्डर्ड है जिसके आधार पर टाईटल नही होता है और स्टाम्प हीरालालजी के द्वारा नही लिखा गया, कब्जे के सम्बन्ध में शपथ पेश करने से कब्जा साबित नही होता है। खातेदार का कब्जा रजिस्डर्ड दस्तावेज का कब्जा खरीदा गया है। मगनीरामजी की सम्पति मूलचन्द के वारीसान के पास है हीरालाल को बादरमल [illegible] मान रहे है सम्पति का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 18:07:38 IST
Reason: SelfAttested

विवरण लिखापढ़ी में नही है चारो भाईयो के नाम पर कराने बाबत् लिखतम नही है और अगर यह लिखतम सही होती तो भूमि पूर्व में ही इनके नाम हो जाती पुरानी लिखतम लेकर क्यो बैठे है। इकरारनामा की पालना सिविल न्यायालय से होती है और अपने जवाब के समर्थन में आरआरडी 1974 पेज 446, आरआरडी 1993 पेज 443, आरबीजे 2004 पेज 164, आरआरडी 1991 पेज 325, आरआरडी 1984 पेज 492 की नजीरे पेश की गई और अन्त में निवेदन किया कि प्रथम दृष्टया केश विपक्षीगण के पक्ष में है विपक्षीगण खातेदार है कब्जा विपक्षीगण का है अगर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो विपक्षीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, चुंकि विपक्षीगण द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज से भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है जिससे विपक्षीगण को अपूर्णीय क्षति होग़ी ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर अध्ययन किया तो पाया कि अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये न्यायालय को 3 बिन्दुओं को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिये जो तीनों बिन्दु निम्न है– 1. प्रथम दृष्टया मामला 2. अपूर्णीय क्षति 3. सुविधा सन्तुलन

1. प्रथम दृष्टया मामला –

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण की ओर से मूल दस्तावेज के रूप में जमाबन्दी संवत 2009 से 2013 के खतोनी संख्या 414 की प्रति पेश की गई जिसमें वाद व प्रार्थना पत्र में वर्णित साबिक आराजी नम्बर 546 रकबा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 1945 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, आराजी संख्या 1946 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा भूमि श्री हीरालाल वल्द बादरमल 2/3, शोभालाल वल्द रूपचन्दजी 1/3 महाजन के नाम दर्ज रेकार्ड थी जबकि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वाद व प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि मूल पुरूष मेघराज को बताते हुए जिनके 3 लड़के बादरमल मगनीराम एवं नरसिंह होना बताया तथा तीनो शामिल सरीक रहते और सम्पूर्ण कृषि आरायिजात को शामिल ही काबिज काश्त होकर काश्त करते चले आना दर्शाया गया है और सम्पूर्ण भूमियां बादरमलजी परिवार में सबसे बड़े होने से उनके नाम दर्ज रेकार्ड थी और उनके कोई औलाद नही होने से मगनीरामजी के पुत्र हीरालाल को बादरमलजी के गोद रखा जिससे भूमि हीरालालजी के नाम दर्ज हुई। पत्रावली में बादरमल या मेघराज के नाम भूमि दर्ज होने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। विपक्षी की ओर से अपने जबाव के समर्थन में संवत 2008 की जमाबन्दी नकल प्रस्तुत की गई जो विवादित भूमि हीरालाल वल्द बादरमल के नाम दर्ज थी और हीरालाल के फोत होने पर उनके विधिक वारीसान विपक्षीगण के नाम दर्ज हुई जिनके द्वारा अलग–अलग रजिस्टर्ड दस्तावेज से विक्रय की गई जिससे वर्तमान में भूमि क्रेता के नाम दर्ज रेकार्ड है। रेकार्ड के अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया साबित नही होता है।

2. अपूर्णीय क्षति–

न्यायालय को निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय यह देखना आवश्यक है कि अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो किस पक्ष को अपूर्णीय क्षति होगी। इस प्रकरण में विवादित आराजियात साबिक भू प्रबन्ध में हीरालाल वल्द बादरमल के नाम दर्ज रकार्ड थी और हीरालाल के फोत होने पर उनके विधिक वारीसान के नाम दर्ज हुई उसके बाद हीरालाल के विधिक वारीसान द्वारा भूमि विपक्षी कमांक 15 को अलग–अलग दस्तावेज से विक्रय कर दी और क्रेता का रजिस्टर्ड दस्तावेज अनुसार कब्जा होना अंकित किया। अगर स्थगन आदेश जारी किया जाता है तो क्रेता खातेदार को अपूर्णीय क्षति होनी है। प्रार्थीगण द्वारा अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 13:07:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के समर्थन में दिनांक 11.09.1942 की जो लिखतम पेश की गई है उसमें हीरालाल के द्वारा भूमि शामलाती होना लिखा है उक्त लिखतम लगभग 77 वर्ष पुरानी है हीरालाल के वारीसान द्वारा भूमि विक्रय की गई है उस लिखतम के आधार पर विक्रय पत्र पर आपत्ति कर चुनौती दी जा सकती है। विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता खातेदार को अपूर्णीय क्षति होने की संभवाना है ना कि प्रार्थीगण को।

3. सुविधा सन्तुलन–

किसी भी प्रकरण में स्थगन के दौरान मुख्य बिन्दु के रूप में प्रथम दृष्टया प्रकरण साबित होना एवं दुसरा बिन्दु अपूर्णीय क्षति होना मुख्य है इस प्रकरण में दोनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नही होने से सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये उसमें आरबीजे 1999 (6) पेज 414 पेश किया है जिसमें कहा गया है कि कब्जा होने पर खातेदार के विरूद्व भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है किन्तु इस प्रकरण प्रार्थीगण द्वारा अपना कब्जा होने बाबत् कोई दस्तावेज राजस्व रेकार्ड पेश नही किया। इसी के साथ आरआरडी 2016 (1) पेज 264 में यह लिखा है कि टाईटल साक्ष्य में तय होगा एवं आरआरटी 2016–17 (1) पेज 54 में यह भी कहा गया है कि हिस्से पर स्थगन दिया जा सकता है। साथ ही आरबीजे 1998 (5) पेज 381 में दावा के दौरान स्थानान्तरण पर रोक लगाई गई है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा जो दृष्टान्त पेश किये गये है वो मूलतः इस प्रकरण पर चस्पा नही होते है। विपक्षी अधिवक्ता के द्वारा जो दृष्टान्त पेश किये गये है उसमें आरबीजे 2004 पेज 164 में यह लिखा है कि अभिलिखित खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। आरआरडी 1993 पेज 443 के अनुसार अनरजिस्टर्ड लिखतम को माना जाता है तो खातेदार को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। जमाबन्दी में विपक्षी खातेदार है यह एक वार्षिक रजिस्टर है और अधिकार अभिलेख पर ऐसे अविश्वास नही किया जा सकता है। कब्जे के साथ साथ स्वत्व देखा जाना आवश्यक है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. 1955 के तहत् अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. 1955 अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न की जावें बाद दाखला रजिस्टर पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.10.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 18:07:38 IST
Reason: SelfAttested